



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004

HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पीसी-VI/ 07/80106

दिनांक:-04.12.2018

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.-335/2018

विषय:-Fixation of pay/admissibility of increment under Rule 13 of Revised Pay Rules, 2008 in the situation of placement on non-functional basis in higher Pay Band/Grade Pay.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. PC-VI/2009/I/6/6 Pt. दिनांक 12.11.2018, RBE No. 175/2018, S.No.PC-VI/391 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक, आरबीई एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1.	PC-VI/2008/I/RSRP/I dated 11.02.2009 (RBE No.28/2009)	25/2009

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं CPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Home page—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त. (2 पृष्ठ)

(हफिज मोहम्मद)

उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.क्यू.)

कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

E/R No- 335/2018

S.No. PC-VI/ 391

RBE No. 175/2018

No. PC-VI/2009/I/6/6 Pt.

New Delhi, dated: 12.11.2018

The GMs/ CAOs (R),
All Zonal Railways & Production Units
(As per mailing list)


Sub: Fixation of pay/ admissibility of increment under Rule 13 of Revised Pay Rules, 2008 in the situation of placement on non-functional basis in higher Pay Band/ Grade Pay.

Prior to implementation of recommendations of Sixth Central Pay Commission, fixation of pay of Railway employees on appointment from one post to another was governed by Rule 1313 {FR22(I)(a)(1)} and 1313 {FR22(I)(a)(2)} R-II depending upon whether situation involved assumption of duties and responsibilities of greater importance or otherwise. Rule 13 of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 governing fixation of pay on promotion on or after 1.1.2006, however, envisage grant of one increment equal to 3% of sum of the pay in the pay band and existing grade pay (to be rounded off to next multiple of 10) in the case of promotion from one grade pay to another in the revised pay structure. Further clarification were issued vide Board's letter No. PC-VI/2008/I/RSRP/1 dated 11.02.2009 (RBE No. 28/2009). 25/09

2. References have been received from some of the Railways/PUs and both staff Federations regarding admissibility of fixation with extra increment in terms of Rule 13 of RS(RP) Rules, 2008 in the situation of placement of Pharmacist (GP Rs. 2800) in GP Rs. 4200 on completion of two years regular service and placement of Private Secretaries Grade I (GP Rs. 4800) in GP Rs. 5400 (PB 2) on completion of 4 years regular service on non-functional basis. The matter has been examined in consultation with Ministry of Finance and DoP&T and it is clarified that the benefit of fixation of pay in terms of Rule 13 of RS (RP) Rules, 2008 **would be admissible** in such situations of placement in higher Grade Pay on non-functional basis.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Hindi version will follow.


(S. Balachandra Iyer)
Executive Director, Pay Commission-III
Railway Board

No. PC-VI/2009/I/6/6 Pt.

New Delhi, dated .11.2018

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.


For Financial Commissioner/ Railways

335/18
P/2

भारत सरकार / Government of India
रेल मंत्रालय / Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड / Railway Board)

क्र.सं. पीसी-VI/ 391
सं.पीसी-VI/2009/1/6/6/पार्ट

आरबीई सं. 175/2018
नई दिल्ली, दिनांक: 12.11.2018

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयां.
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: उच्चतर पे बैंड/ ग्रेड पे में नॉन-फंक्शनल आधार पर स्थापन के मामले में संशोधित वेतन नियम, 2008 के नियम 13 के तहत वेतन निर्धारण/वेतनवृद्धि की स्वीकार्यता।

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से पहले, रेल कर्मचारियों को एक पद से दूसरे पद पर नियुक्त करने पर वेतन का निर्धारण नियम 1313 {एफआर 22(1)(क)(1)} और नियम 1313 { एफआर 22(1)(क)(2)} आर-11 द्वारा शासित होता था, जो अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के ग्रहण किये जाने अथवा अन्यथा की स्थिति पर निर्भर करता था। बहरहाल, 1.1.2006 को अथवा उसके बाद संशोधित वेतन संरचना में एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का नियतन करने वाले रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 के नियम 13 में पे बैंड में वेतन और मौजूदा ग्रेड पे के योग के 3 प्रतिशत (जिसे 10 के गुणांक में आगे पूर्णांकित किया जाएगा) के बराबर एक वेतन-वृद्धि प्रदान करने का उल्लेख किया गया है। बोर्ड के दिनांक 11.02.2009 के पत्र सं.पीसी-VI/2008/1/आरएसआरपी/1 (आरबीई सं.28/2009) के तहत आगे स्पष्टीकरण जारी किए गए थे।

2. कुछ रेलों/उत्पादन इकाइयों और दोनों स्टाफ फेडरेशनों से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं, जो नॉन-फंक्शनल आधार पर फार्मासिस्ट (ग्रेड पे 2800 रु.) में दो वर्ष की नियमित सेवा पूरे होने पर ग्रेड पे 4200 रु. में रखे जाने और निजी सचिव ग्रेड-1 (ग्रेड पे 4800 रु.) में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरे होने पर ग्रेड पे 5400 रु. (पीबी-2) में रखे जाने के मामले में रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 के नियम 13 के अनुसार अतिरिक्त वेतन-वृद्धि सहित वेतन निर्धारण की स्वीकार्यता के बारे में है। वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से इस मामले की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया गया जाता कि रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 के नियम 13 के अनुसार नॉन-फंक्शनल आधार पर उच्चतर ग्रेड पे में स्थापन के ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण का लाभ स्वीकार्य होगा।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

बी. आर. अय्यर

(एस. बालाचंद्र अय्यर)

कार्यपालक निदेशक/वेतन आयोग-11
रेलवे बोर्ड

सं.पीसी-VI/2009/1/6/6/पार्ट

नई दिल्ली, दिनांक: 12.11.2018

प्रतिलिपि प्रेषित:

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं.224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)

21/11/18
कृते वित्त आयुक्त/रेलें